AMG-II (Non-PSU)/निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या/23/2020-21

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, परियोजना कार्यान्वयन इकाई(अमृत), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुड़की** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, परियोजना कार्यान्वयन इकाई(अमृत), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुड़की** के माह **मार्च 2017 से अगस्त 2020** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री प्रवीर घोष, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री हितेन्द्र चिकारा, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.09.2020 से 23.09.2020 तक श्री एस. के. त्यागी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(ii) **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत में कोई लेखापरीक्षा नहीं हुयी है।

(iii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियंता, परियोजना कार्यान्वयन इकाई(अमृत), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुड़की के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (सीवरेज़, पेयजल योजना, वर्षा जल निकासी का निर्माण) के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

(iv) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		मुख्य लेखाशीर्ष	स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य	बचत	टिप्पणी
	स्थापना	गैर स्थापना		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय			
2016-17				-	-					
2017-18				**620.52**	**620.52**					
2018-19				850.00	850.00					
2019-20				1444.36	1444.36					
2020-21 (08/2020 तक)				3014.00	1479.31					

(v) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**A**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, पेयजल विभाग, उत्तराखण्ड

↓

प्रबंध निदेशक), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

↓

मुख्य अभियन्ता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

↓

अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून

↓

अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम(अमृत), देहरादून

(vi) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, परियोजना कार्यान्वयन इकाई(अमृत), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुड़की** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, परियोजना कार्यान्वयन इकाई(अमृत), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुड़की** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखापरीक्षा द्वारा व्यय विवरण के आधार पर सर्वाधिक व्यय वाले माह **मार्च 2018, अक्तूबर 2019 एवं जुलाई 2020** को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी. पी. सी. एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से 27.01.2020 से 28.01.2020 की अवधि में निरीक्षण किया गया।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 1 : भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ₹306.69 लाख व्यय के उपरांत कार्य में हुए विलंभ के कारण उद्देश्यों की प्राप्ति न होना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड VI के नियम 378 के प्रावधानों के अनुसार किसी ऐसी भूमि पर कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है जिसके संदर्भ में सक्षम सिविल अधिकारी द्वारा ऐसा किया जाना घोषित नहीं किया गया है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता पी.आई.यू. (अमृत), उत्तराखंड पेयजल निगम, रुड़की के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि हरिद्वार ज्वालापुर जोन E1 एवं E2 पेयजल योजना के लिए शासन से कुल ₹665.89 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस कार्य को पूरा करने के लिए मैसर्स एस. एम. कंस्ट्रक्शन से ₹538.00 लाख का अनुबंध किया गया था। उक्त योजना के लिए गठित अनुबंध संख्या 34/SE/2018-19 के अनुसार योजना प्रारम्भ की करने की तिथि 9 मार्च 2019 तथा योजना की पूर्ण करने की तिथि 8 मार्च 2020 निर्धारित की गई थी। ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने की तिथि बढ़ाए जाने के लिए आवेदन किया गया था जिसमें उक्त कार्य को पूर्ण करने की तिथि 08.09.2020 का उल्लेख किया गया था लेकित उक्त अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी कार्य लेखापरीक्षा तिथि (सितम्बर 2020) तक अपूर्ण था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य विलंब से आरंभ हुआ तथा कोविड-19 के लॉकडाउन के फलस्वरुप कार्य बाधित रहने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है।

विभाग के उत्तर से स्पष्ट है कि भूमि कि उपलब्धता के बगैर ही ठेकेदार के साथ अनुबंध गठित कर लिया गया था। साथ ही ठेकेदार द्वारा मांगी गयी समयावृद्धि कि अवधि समाप्त होने के बाद भी कार्य अपूर्ण है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 2 : अनियमित व्यय ₹ 6.62 लाख ।

शासनादेश संख्या 540/IV(2)-श.वि.-2018-74(सा.)15 टी.सी. VI दिनांक 23 मई 2018 के प्रावधानों के अनुसार 'अमृत' मिशन के अंतर्गत कोई भी आकस्मिकताएँ अथवा लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी तथा किसी भी अपूर्ण व पहले से चालू परियोजनाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

कार्यालय अधिशासी अभियंता पी.आई.यू. (अमृत), उत्तराखंड पेयजल निगम, रुड़की के अमृत योजना के अंतर्गत हरिद्वार, ज्वालापुर पेयजल योजना के जोन E1 एवं E2 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि इस योजना को पूरा करने के लिए शासन से ₹ 665.89 लाख की स्वीकृति दी गई थी तथा कार्य को पूर्ण करने के लिए मैसर्स एस. एम. कन्स्ट्रकशन के साथ अनुबंध किया गया था। उक्त योजना के Estimate में General Abstract of Cost के विवरण में आकस्मिकताएँ (Contingencies) के लिए ₹ 13.62 लाख का प्रावधान किया गया था तथा अगस्त 2020 तक ₹ 662470/- का व्यय कर दिया गया था जबकि उपरोक्त शासनादेश के प्रावधानों के अनुसार तथा भारत सरकार के अमृत योजना की गाइडलाइन के पैरा 6.5 के अनुसार कोई भी आकस्मिकताएँ स्वीकार्य नहीं थी।

इस प्रकार अमृत योजना के अंतर्गत हरिद्वार पेयजल योजना E1 एवं E2 पर इकाई द्वारा आकस्मिकताओं पर किया गया ₹ 13.62 लाख का प्रावधान एवं ₹ 6.62 लाख का व्यय नियमों के विरुद्ध है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि स्वीकृत प्रावधानों के अंतर्गत जो Contingencies (आकस्मिकताएँ) की धनराशि स्वीकृत की गई है वह उत्तराखंड शासन में प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है तथा प्राक्कलन का परीक्षण वित्त विभाग की तकनीकी परीक्षा प्रकोष्ठ (TAC) द्वारा एवं नियोजन विभाग द्वारा किया गया है व उनके द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई धनराशि के अनुरूप प्राक्कलन स्वीकृत है तथा प्राक्कलन को वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेश एवं भारत सरकार की अमृत योजना गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की आकस्मिकताएँ स्वीकार्य नहीं होगी। अतः विभाग द्वारा इस योजना पर ₹ 6.62 लाख का आकस्मिकताओं पर किए जाने वाले जाने वाला व्यय नियमानुसार अनियमित था।

अतः उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-3: ऋषिकुल सीवर परियोजना पर धनराशि ₹ 18.26 लाख का लंबित समायोजन व ₹ 3.93 लाख के लंबित भुगतान।

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि योजना समाप्ति के छः माह के अंदर सभी समायोजन करते हुए योजना लेखों की लेखा बंदी कर दी जानी चाहिए।

शासनादेश संख्या 626/IV(2)-श.वि.-2016-74(अमृत) 15 टी.जी. दिनांक 26 मई 2017 द्वारा अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत अनुमोदित State Annual Action Plan (SAAP) के सापेक्ष हरिद्वार नगर में ऋषिकुल से एम.पी.एस. मायापुर जोन सी-1 सीवरेज योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति ₹389.53 लाख हेतु प्रदान की गई थी। स्वीकृत लागत में ₹281.23 लाख की राशि सिविल निर्माण एवं ₹108.30 लाख की राशि अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 हेतु उपलब्ध थी। सीवर लाइन रिप्लेसमेंट योजना 2230 मीटर लंबाई में प्रस्तावित थी। योजना व्यय केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात में वहन किया जाना था। योजना संपादन हेतु मैसर्स एस. एम. कंस्ट्रक्शन, आगरा के साथ सितंबर 2017 में ₹281.23 लाख हेतु अनुबंध (सं 13/ज़ी.एम./2017-18) गठित किया गया था। अनुबंधानुसार कार्य प्रारंभ की तिथि सितंबर 2017 थी जिसे छः माह की अवधि में मार्च 2018 तक पूर्ण किया जाना था। योजना को मुख्य अभियंता (गढ़वाल) द्वारा स्वीकृत समय वृद्धि के साथ मई 2019 में पूर्ण किया कर लिया गया था। योजना पर कुल ₹271.27 लाख का व्यय किया गया था। संदर्भित योजना मई 2020 में उत्तराखंड जल संस्थान को हस्तगत कर दी गई थी, बावजूद इसके योजना लेखों को संप्रेक्षा तिथि (सितंबर 2020) तक बंद नहीं किया गया था। फलस्वरुप योजना समाप्ति के 15 माह उपरांत भी ₹18.26 लाख की बचत राशि का समायोजन व ठेकेदार का ₹3.93 लाख का भुगतान संप्रेक्षा तिथि (सितंबर 2020) तक लंबित था। उपरोक्त के अतिरिक्त, योजना प्राक्कलन में शासकीय निर्देशों के विपरीत 4% आकस्मिक व्यय का प्रावधान किया गया था व सेंटेज चार्ज को योजना की पूर्ण (आकस्मिक व्यय सहित) लागत पर भारित किया गया था।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि लेखा बंदी उपरांत अवशेष धनराशि पर कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर संप्रेक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि कार्य समाप्ति के लगभग 15 माह उपरांत भी इकाई द्वारा योजना की लेखा बंदी नहीं की गई थी।

अतः धनराशि ₹18.26 लाख के लंबित समायोजन व ₹3.93 लाख के लंबित भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर – 4 : असमायोजित धनराशि ₹ 48.66 लाख।

शासनादेश संख्या 01(1)/IV(2)-श.वि.-2016 दिनांक 02 जनवरी 2017 द्वारा अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत रुड़की के पाडली गुज्जर में ₹ 483.85 लाख की लागत की पेयजल योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उत्तराखंड शासन के पत्रांक 1398/उन्तीस(2)/16-2(15 पे.)/2016 दिनांक 18 अक्तूबर 2016 द्वारा ₹ 552.47 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त योजना के लिए महाप्रबंधक, पेयजल निगम, हरिद्वार कार्यालय के स्तर से मै. देवेंद्र प्रकाश, अलीगढ़ से दिनांक 17 अप्रैल 2017 को ₹ 3.26 करोड़ का अनुबंध किया गया था, जिसके एवज में ठेकेदार मै. देवेंद्र प्रकाश, अलीगढ़ द्वारा कुल ₹ 32.60 लाख की FDR कार्यालय में जमानत धनराशि के रूप में जमा कराई गयी थी। उक्त योजना को 18 अप्रैल 2017 में शुरू करके 17 जनवरी 2018 तक पूरा कराया जाना था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तराखंड शासन ने शासनादेश संख्या 791/IV(2)-श.वि.-2019 दिनांक 10 अक्तूबर 2019 के द्वारा पाडली गुज्जर हेतु स्वीकृत पेयजल/जलापूर्ति योजना को निरस्त करते हुये योजना हेतु निर्गत वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया था परंतु कार्यालय द्वारा योजना के निरस्त होने के लगभग एक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी लेखापरीक्षा तक (सितम्बर 2020) ठेकेदार की ₹ 32.60 लाख की FDR आतिथि तक लौटाई नहीं गयी है।

उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय द्वारा अधीक्षण अभियंता, निर्माण मण्डल, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून को उनके द्वारा गठित उक्त अनुबंध समाप्त कराने हेतु अनुरोध किया गया था जिसके उपरांत ही ठेकेदार की ₹ 32.60 लाख की FDR अवमुक्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि शासन द्वारा उक्त योजना को अक्तूबर 2019 में ही निरस्त किया जा चुका था, जिसके उपरांत आतिथि तक (सितम्बर 2020, एक वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी) ₹ 32.60 लाख का समायोजन नहीं किया जा सका।

उक्त के अतिरिक्त कार्यालय द्वारा बैंक खातों में कुल ₹ 16.06 लाख अर्जित ब्याज का समायोजन लेखापरीक्षा (सितम्बर 2020) तक नहीं किया था जबकि शासनादेश संख्या 99/XXVII(14)/2009 दिनांक 03 दिसम्बर 2009 द्वारा सरकारी प्रतिष्ठानों, परिषदों, निकायों, प्राधिकरण आदि में समेकित निधि से प्राप्त धनराशिओं पर

अर्जित ब्याज को राजकोष में लेखाशीर्ष 0049 ब्याज प्राप्तियाँ 04 –राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ 12 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियाँ के अंतर्गत जमा किए जाने के निर्देश पूर्व में ही दिये गए थे।

अर्जित ब्याज के संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि शहरी विकास निदेशालय द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भविष्य में ब्याज धनराशि के संबंध में केंद्र सरकार से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत अग्रिम कार्यवाही कि जाएगी।

उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि उत्तराखंड राज्य में अमृत योजना वर्ष 2016 में प्रारम्भ हो गयी थी अतः अर्जित ब्याज के संबंध में इकाई द्वारा राज्य/केंद्र सरकार से अर्जित ब्याज के संबंध में निर्देश प्राप्त कर लिए जाने चाहिए थे।

अतः इकाई द्वारा कुल ₹ 48.66 लाख धनराशि के असमायोजित रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1	शून्य			
2				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, परियोजना कार्यान्वयन इकाई(अमृत), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुड़की** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   माप पुस्तिका संख्या –

2. सतत् अनियमितताएः

3. विगत लेखा परीक्षा से वर्तमान तक निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष एवं आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया:

<u>क्र.सं.</u>	<u>नाम</u>	<u>पदनाम</u>	<u>अवधि</u>
i.	**इं मुजम्मिल हसन**	**अधिशासी अभियंता**	**सितम्बर 2016 से 21.04.2017**
ii.	**श्री संजय सिंह**	**अधिशासी अभियंता**	**22.04.2017 से वर्तमान तक**

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **अधिशासी अभियंता, परियोजना कार्यान्वयन इकाई(अमृत), उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रुड़की** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095** को प्रेषित किया जाए।

व. लेखापरीक्षा अधिकारी
AMG-II (Non-PSU)